



DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY
Accredited with 'A' Grade by NAAC

Kargi Road, Kota, Dist.-Bilaspur (C.G.) - 495113
Ph. : 07753-253801 Fax : 07753-253728
e-mail : info@cvru.ac.in, visit us at : www.cvru.ac.in

क्र.65(स)/सीव्हीआरयू/उ.कु.स.(स्था.)/2025 करगी रोड कोटा, बिलारपुर दिनांक : 10.05.2025

अधिसूचना

विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के हितों के संरक्षण, उनके शैक्षणिक एवं प्रशासनिक विकास को प्रोत्साहित करने तथा उनके संबंध में लागू नियमों/दिशा-निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विश्वविद्यालय में SC/ST Committee का पुर्नगठन निम्नानुसार किया जाता है -

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. प्रो. प्रदीप कुमार घोष,
कुलपति, डॉ. सी. व्ही. रमन विश्वविद्यालय | — अध्यक्ष |
| 2. श्रीमती किरण तिग्गा,
सहायक प्राध्यापक, अभियांत्रिकी संकाय | — समन्वयक/नोडल अधिकारी |
| 5. डॉ. आर. पी. चौधरी,
सह प्राध्यापक एवं संकायाध्यक्ष, विधि संकाय | — संपर्क/आरक्षण अधिकारी |
| 4. डॉ. अभिषेक शुक्ला,
उप कुलसचिव (परीक्षा)/प्रशासनिक प्रतिनिधि | — सदस्य |
| 5. श्रीमति पुष्पा कश्यप,
उप कुलसचिव, मानव संसाधन | — सदस्य |
| 6. डॉ. कृष्ण कुमार भास्कर,
सहायक प्राध्यापक, भाषा एवं साहित्य विभाग | — सदस्य |
| 7. डॉ. रत्नेश खन्ना,
सहायक प्राध्यापक, सामाजिक विज्ञान विभाग | — सदस्य |
| 8. श्री विकास पाठक,
कार्यालय सहायक, अकादमिक | — सदस्य |
| 9. श्रीमती रीता टोप्पो,
कार्यालय सहायक, सीडीओई | — सदस्य |
| 10. श्रीमती आनंदी लकडा,
कार्यालय सहायक, परीक्षा | — सदस्य |


उप कुलसचिव (स्थापना)

क्र.65(द)/सीव्हीआरयू/उ.कु.स.(स्था.)/2025 करगी रोड कोटा, विलारापुर दिनांक : 10.05.2025

प्रतिलिपि :-

1. माननीय कुलपति एवं कुलसचिव महोदय के निज सहायक एवं शीघ्रलेखक को माननीय कुलपति एवं कुलसचिव महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी/अकादमिक अधिष्ठाता/छात्र कल्याण अधिष्ठाता/समन्वयक (आईव्यूएसी)/निदेशक (कौशल केन्द्र/दूरस्थ एवं ऑनलाईन शिक्षा केन्द्र) को सूचनार्थ।
3. उप कुलसचिव (प्रशासन/वित्त/प्रवेश/मानव संसाधन/अकादमिक/परीक्षा/गोपनीय) को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
4. समस्त संकायाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष/ ग्रंथपाल/ टी.पी.ओ./ शोध सेल/ जनसंपर्क अधिकारी/ रेडियो रमन/ टेक्निकल विभाग को सूचनार्थ।
5. केन्द्र, क्लब, प्रकोष्ठ एवं समिति प्रमुख को सूचनार्थ।
6. संबंधित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सूचनार्थ।
7. कार्यालय प्रति।


उप कुलसचिव (स्थापना)